समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

(जिला कल्याण कार्यालय)

****

निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा संख्या–...02.../2020–21 एवं 2021–22

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार पटना एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार पटना के द्वारा संचालित राजकीय अम्बेदकर आवासीय उच्च विद्यालय, सुगॉव, राजेन्द्र कल्याण छात्रावास, चॉदमारी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास, अम्बिका नगर तथा जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास, लुठाहॉ, मोतिहारी में सुरक्षा गार्ड/सफाई कर्मी/माली/बिजली मिस्त्री/कार्यालय परिचारी को आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। तद्नुसार इच्छुक एन0जी0ओ0/सेवाप्रदाता संस्थानों से मुहरबंद निविदा जिला कल्याण कार्यालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी में सूचना प्रकाशन तिथि से दिनांक ...23/3/21... के पूर्वाह्न/अपराह्न ...3:00... बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदादाता को निविदा टंकित/कम्प्यूटराईज्ड देना अनिवार्य होगा, अन्यथा उस पर विचार नहीं होगा।

1. विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों के सुरक्षा हेतु सुरक्षा प्रहरी/सफाई कार्य हेतु सफाई कर्मी एवं विद्यालय कार्य हेतु कार्यालय परिचारी/माली/बिजली मिस्त्री उपलब्ध कराना होगा। प्रति कर्मी को सरकार द्वारा निर्धारित प्रति माह 9990.00 रू0 की दर से भुगतान किया जायेगा।
2. निविदादाताओं को **मो0– 1,00,000.00 (एक लाख)** रूपये जमानत की राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कराना होगा, जो जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पक्ष में मोतिहारी में भुगतेय हो। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि ...23/3/21... के पूर्वाह्न/अपराह्न ...3:00...बजे तक होगी।
3. उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति के समक्ष निविदा दिनांक ...24/3/21... को ...11:00... बजे पूर्वाह्न/अपराह्न में खोली जायेगी, जिसकी सूचना एस0एम0एस0/दूरभाष के माध्यम से संबंधित को दिया जायेगा, जिसमें निविदादाता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति उपस्थित रहेंगे।

- **निविदा की आवश्यक शर्ते :–**

1. तकनिकी निविदा (Technical) सील/मुहर बंद लिफाफे में निविदा देना होगा अन्यथा उनके निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. तकनिकी निविदा के साथ पैन नम्बर, बिगत तीन वर्षो का अद्यतन आयकर विवरणी दाखिल करने का साक्ष्य, जी0एस0टी0 (वस्तु एवं सेवाकर) संबंधी प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
3. तकनिकी निविदा के साथ जी0एस0टी0 में निबंधन से संबंधित प्रमाण–पत्र, पैन नम्बर, अद्यतन आयकर विवरणी दाखिल करने का साक्ष्य एवं विगत तीन वर्षो का अंकेक्षण रिपोर्ट रजिस्टर सी0ए0 के द्वारा किया हुआ प्रस्तुत करना होगा, जिसका **Turn over** एक वर्ष में कम से कम 02 (दो) करोड़ रूपये का **Audited Balance Sheet** संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. तकनीकी निविदा के साथ निर्धारित जमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।
5. संबंधित एन0जी0ओ0/स्वयं सेवी संस्था/ट्रस्ट Employee Insurance Corporation एवं कम्पनी एक्ट में निबंधित/पंजीकृत होना चाहिए।
6. सुरक्षा प्रहरी हेतु संबंधित एन0जी0ओ0/स्वयं सेवी संस्था/ट्रस्ट को गृह विभाग, बिहार सरकार से अनुज्ञप्ति प्राप्त होना चाहिए।
7. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं को साक्षात्कार के आधार पर वरीयता क्रम तैयार कर चयनित किया जायेगा।
8. स्थानीय एन0जी0ओ0/स्वयंसेवी संस्थाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।
9. स्वीकृत निविदादाताओं को छोड़कर शेष निविदादाताओं को जमानत राशि वापस कर दी जायेगी।

10. कोई भी निविदा या दावा पूर्वी चम्पारण जिला न्यायिक क्षेत्र के अधीन होगा। विशेष जानकारी के लिए जिला कल्याण प्रशाखा, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी से सम्पर्क कर सकते है एवं विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट **http://eastchamparan.bih.nic.in** पर देखा जा सकता है।
11. निविददाता अथवा संबंधित फर्म को इस आशय का शपथ पत्र मूल में समर्पित करना होगा कि उन्हे किसी सरकारी विभाग द्वारा पूर्व में काली सूची में नहीं डाला गया हो।
12. तकनिकी निविदा के साथ विगत तीन वर्षो के लगातार, न्यूनतम 50 श्रमिकों का प्रतिवर्ष **E.S.I** एवं **P.F.** संबंधी अंशदान का प्रमाण पत्र संलग्न कराना आवश्यक होगा।
13. सभी प्रकार के करों की देयता सेवा प्रदाता की ही होगी।
14. सभी प्रकार के श्रम अधिनियम के अनुपालन का उतरदायित्व भी सेवा प्रदाता की होगी।
15. निविदादाताओं को तकनिकी निविदा के कागजातों को मांगे गये क्रम में उपलब्ध कराये गये प्रपत्र में अंकित कर समर्पित करना होगा।
16. किसी भी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा।
17. अपरिहार्य कारण से भुगतान में विलंब होने पर किसी भी प्रकार की सूद की राशि देय नहीं होगा।
18. निविदा आमंत्रण की तिथि एवं समय के पश्चात निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
19. बिना कारण बताये निविदा को स्थगित करने या रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।
20. निविदा स्वीकृति के पश्चात संबंधित सफल निविदादाता को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार एकरारनामा प्रस्तुत करना होगा, कि आदेशित पद पर कार्य करने हेतु नामित कर्मी को यूनिफार्म एवं परिचय पत्र उनके स्तर से उपलब्ध कराया जायेगा तथा एकरारनामा की तिथि से दिनांक–31.03.2022 तक आदेशित संख्या में सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मी, परिचारी/माली/बिजली मिस्त्री उनके द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा अन्यथा प्रतिभूति राशि जब्त कर उनके विरूद्ध कानून की संगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी। संतोषप्रद कार्य की स्थिति में एकरारनामा की अवधि विस्तारित की जा सकती है।

1/3/2021

उप विकास आयुक्त
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी